न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>—1373 / 14

संस्थित दिनाँक-03.12.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मौ
जिला—भिण्ड (म०प्र०)अभियोगी
विरुद्ध
पप्पू उर्फ राजवीर पुत्र गुलाबसिह गुर्जर उम्र ४६ साल
निवासी ग्राम गुतौर थाना मेहगांव जिला भिण्डअभियुक्त

_:: निर्णय ::-(आज दिनांक 20.09.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 34-1-क के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.09.14 को समय 09:35 बजे, घमूरी दंदरौआ के बीच रोड मोड सार्वजनिक स्थान पर उसने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में चार पेशी देशी प्लेन मदिरा कुल 36 लीटर 480 मि0ली0 बिना वैध अनुज्ञा के रखे।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 05.09.14 को थाना मौ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रमोदिसंह भदौरिया को दौरान इलाका गश्त मुखबिर से मोबाईल से सूचनामिली कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल नंबर एम0पी0 30 एम0एफ0 4487 में प्लास्टिक की फट्टी—बोरी में अवैध शराब लेकर मौ मेहगांव रोड से मौ तरफ आ रहा है जिसकी तस्दीक हेतु खरौआ धमूरी के बीच मोड पर उक्त मोटरसाईकिल आती दिखी जिसे फोर्स की मदद से रोका तो मोटरसाईकिल में सफेद रंग की प्लास्टिक की फट्टी में चार पेटी शराब रखी मिली। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम बताया जिसे समक्ष गवाह के पेटी खोलकर देखा तो प्रत्येक पेटी में 50—50 क्वार्टर रखे मिले, कुल 36 लीटर 480 मि0ली० शराब मिली। जिसे रखने का लायसेंस पूछे जाने पर अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। उक्त शराब जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया। अभियुक्त को गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया, तत्पश्चात् थाने पर आकर अप0क0 301/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, जब्तशुदा शराब की जांच कराई गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।

- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.09.14 को समय 09:35 बजे, घमूरी दंदरौआ के बीच रोड मोड सार्वजनिक स्थान पर उसने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में चार पेशी देशी प्लेन मदिरा कुल 36 लीटर 480 मि0ली0 बिना वैध अनुज्ञा के रखे ?

<u> -:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रघुवीर अ०सा० 1, राजेश कुमार अ०सा० 2, सुदीपकुमार अ०सा० 3, प्रमोदिसंह अ०सा० 04 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- 6. प्रकरण में जब्दीकर्ता अधिकारी प्रमोदिसंह भदौरिया अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि दिनांक 05.09.14 को वे थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त दिनांक को जर्ये मुखबिर मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल एमपी० 30 एम०एफ० 4487 पर प्लास्टिक की फट्टी में मौ मेहगांव रोड पर मौ तरफ से आ रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु उक्त स्थान पर पहुंचे तो चिरौल तरफ से एक मोटरसाईकिल आती दिखी जिसे रोका और देखा तो प्लास्टिक की फट्टी में चार पेटी शराब रखी थी। अभियुक्त से नाम पता पूछा और शराब रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त से देशी प्लेन मदिरा 36 लीटर 480 मि०ली० शराब जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 बनाया जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् थाने पर आकर वापसी प्र०पी० 5 लेख किए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 6 लेख किए जाने उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।
- 7. प्रकरण में जब्ती पत्रक के साक्षी रघुवीर अ०सा० 1 एवं आरक्षक राजेश अ०सा० 2 हैं। रघुवीर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के आधिपत्य से कोई भी शराब जब्त होने के तथ्य की पुष्टि नहीं करता। साक्षी जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 एवं गिर० पत्रक प्र०पी० 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करता है किन्तु यह बताता है कि उक्त हस्ताक्षर उसने थाने में किए थे जब अभियुक्त पप्पू उर्फ राजवीर को शराब ठेकेदार गाता मोड से थाने पर पकड़कर ले गए थे तब उसने छुड़ाने के लिए थाने पर हस्ताक्षर किए। यह साक्षी उसके सामने अभियुक्त से अभिकथित जब्ती एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तथ्य से इंकार करता है। आरक्षक राजेश अ०सा० 2 यह बताते हैं कि दिनांक 05.09.14 को वे एएसआई भदौरिया के साथ इलाका गश्त पर गए थे तब जर्ये मुखबिर सूचना

मिली कि अभियुक्त मोटरसाईकिल पर प्लास्टिक की फट्टी में अवैध शराब मौ से मेहगांव तरफ ला रहा है तब उसे दंदरीआ घमूरी मोड पर रोककर तलाशी ली तो उसके पास से चार पेटी शराब जब्त हुई थी। इस प्रकार से यह साक्षी जब्तीकर्ता अधिकारी के कथन की संपुष्टि करते हैं।

- 8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन के मामले का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया ऐसे में मामला प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण में जहां यह तथ्य अभिलेख पर है कि स्वतंत्र साक्षी रघुवीर अ०सा० 1 द्वारा अभियुक्त से कथित शराब की जब्ती का समर्थन नहीं किया है किन्तु प्र०पी० 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षरों को अवश्य स्वीकार किया है ऐसी दशा में कोई भी कार्यवाही मात्र पुलिस अधिकारी की संपुष्टि से तथा किसी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य के अभाव में दूषित नहीं हो जाती है। पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय है तो वह दोषसिद्धि का आधार हो सकती है।
- 9. 🚺 प्रकरण में जब्तीकर्ता प्रमोदसिंह अ०सा० ४ यह कथन करते हैं कि उन्हें अभिकथित मुखबिर की सूचना गश्त के दौरान मौ मेहगांव रोड पर मिली थी, उस समय गश्त करने के लिए शासकीय वाहन से गए थे। गश्त के दौरान चालक व दो सिपाही और वे मौजूद थे। आरक्षक राजेश अ०सा० 2 का इस संबंध में कथन महत्वपूर्ण है जो यह बताते हैं कि सुबह सात बजे वे तथा सहायक उपनिरीक्षक मोटरसाईकल से रवाना हुए थे और सुबह 8 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे उस समय आरोपी नहीं मिला था। जहां जब्तीकर्ता प्रमोदसिंह अ०सा० ४ थाने से शासकीय वाहन से रवाना होने का कथन करते हैं वहीं जब्ती का हितबद्ध साक्षी आरक्षक राजेश कुमार अ०सा० 2 मोटरसाईकिल से रवाना होना बताते हैं। प्रकरण में आरक्षक राजेश अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि वे आठ घटना स्थल पर पहुंचे उस समय अभियुक्त नहीं था, उसके बाद दंदरीआ मंदिर गए थे और उसके बाद दंदरीआ से मौ के लिए 9:15 बजे चले थे। दंदरीआ से घमूरी आने में दस मिनिट का समय लगना बताते हैं, तत्पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचना बताते है। जबकि जब्तीकर्ता प्रमोदसिंह इस तथ्य से इंकार करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि आरोपी न मिला हो तो दंदरौआ गए हों। जहां साक्षी आरक्षक राजेश अ०सा० २ थाने पर सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद भदौरिया द्वारा फोन कर शासकीय वाहन को मंगवाने का कथन करते हैं और तत्पश्चत् उक्त शासकीय वाहन में शराब ले जाना बताते हैं वहीं प्रमोदसिंह अ०सा० 4 सर्वप्रथम तो शासकीय वाहन से इलाका गश्त हेतु रवाना होना और ऐसा सुझाव दिए जाने पर कि शासकीय वाहन से न आए हो बल्कि बाद में वाहन बुलवाया हो, से इंकार करते हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षियों के मध्य परस्पर विरोधाभासी कथन मौजूद है।
- 10. प्रमोदिसह अ0सा0 4 प्रतिपरीक्षण की किण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि गश्त पर जाने के समय रोजनामचा में रवानगी डाली जाती है और यह भी स्वीकार करते हैं कि रवानगी सान्हा की

नकल उन्होंने प्रकरण में पेश नहीं की तो साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि प्र0पी0 5 के वापसी सान्हा में रवानगी सान्हा का नंबर 185 दिनांक 05.09.14 लेख है तो साक्षी द्वारा प्र0पी0 5 के रोजनामचा सान्हा में सान्हा क0 118 पर अभियुक्त से जब्ती का तथ्य लेख किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि सहवन अर्थात भूल से उक्त सान्हा नंबर 118 लिख गया है जबकि इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट विरोधाभास है कि यदि सान्हा नंबर 185 पर दिनांक 05.09.14 को इलाका गश्त हेतु यदि जब्तीकर्ता रवाना हुआ तो आगामी वापसी सान्हा नंबर 185 के बाद का होना चाहिए न कि उसके पूर्व का, ऐसी दशा में प्र0पी0 5 के रोजनामचा सान्हा के संबंध में साक्षी का कथन संदिग्ध हो जाता है।

- 11. प्रमोदसिंह अ0सा0 4 एवं सुदीप तोमर अ0सा0 3 दोनों ने यह स्वीकार किया है कि कथित शराब देशी मिदरा प्लेन आसानी से शराब के ठेके से क्य की जा सकती है। जब्ती साक्षी रघुवीर के कथन अनुसार अमियुक्त को शराब ठेकेदार गाता मोड से पकड़कर लाया था तब उसने थाने पर हस्ताक्षर किए थे, यह तथ्य प्रकरण में अमिकथित शराब ठेकेदार के संबंध में उपस्थिति का तथ्य होने से शराब के प्रकरण में असत्य लिप्तता की अभियुक्त की कथा पर विश्वास का आधार प्रकट कर रहा है। जहां स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्त के शराब ठेकेदार द्वारा पकड़कर थाने लाने के संबंध में कथन को अभियोजन पक्ष ने चुनौती नहीं दी है वहीं जब्तीकर्ता एवं आरक्षक राजेश अ0सा0 2 दोनों के कथनों में सारवान विरोधाभास उत्पन्न हुए है। अभिकथित जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 में कोई नमूना सील को भी अंकित नहीं कराया गया है। अभियुक्त किस प्रकार से मोटरसाईकिल पर किस प्रकार चार पेटी शराब बोरी में रख़कर लाया, कथित बोरी यदि किसी रस्सी से बंधी थी तो रस्सी कौनसी और कितनी लंबी थी और उसे क्यों नहीं जब्त किया गया, उक्त प्रश्न अनुत्तरित हैं। स्वतंत्र साक्षी द्वारा अनुसमर्थन के विपरीत प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही का उत्तम समर्थनकारी साक्ष्य रोजनामचा सान्हा हो सकता था किन्तु उक्त रोजनामचा सान्हा में भी संदिग्ध प्रविष्टि दर्शित हो रही है। कथित शराब थाने के किस माल नंबर पर जमा की गयी, इसका उल्लेख संपूर्ण अभियोगपत्र में नहीं हैं ऐसी दशा में कथित शराब की जांच के संबंध में सुदीप तोमर अ0साо 3 की साक्ष्य महत्वहीन हो जाती है।
- 12. इस प्रकार से प्रकरण में अभियोजन के मामले में तात्विक विरोधाभास एवं विसंगतियां मौजूद हैं। दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए 0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016—4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि

सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्टभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संमव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

- 13. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.09.14 को समय 09:35 बजे, घमूरी दंदरौआ के बीच रोड मोड सार्वजिनक स्थान पर उसने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में चार पेशी देशी प्लेन मदिरा कुल 36 लीटर 480 मि0ली0 बिना वैध अनुज्ञा के रखे। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34–1–क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 15. प्रकरण में जब्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 16. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । क्रे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्उ मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश A. T. 1373/

WIND PARON SUN